

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/पी.एफ./13214/अलेसे-III/ ५०११

दिनांक:- ०१-०८-१९

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 449/2019-20 क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6)/पी.एफ./13214/अलेसे-III/4000 दिनांक 01.08.2019 के कॉलम संख्या 5 में अंकित निदेशक पुरातत्व एवं अभिलेखागार, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर के स्थान पर निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राज. जयपुर पढ़ा जावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/पी.एफ./13214/अलेसे-III/ ५०११

दिनांक:- ०१-०८-१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
3. कोषाधिकारी
4. श्री/श्रीमती/सुश्री..... कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन मुख्यालय पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को तुरंत भिजवावें।
5. अतिरिक्त निजी सहायक निदेशक।
- ✓ 6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)